—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद :—

पीठासीन अधिकारी :— देवीलाल यादव (आर.ए.एस.)
राजस्व प्रकरण संख्या :— 103/2023

उनवान

1. साजन पुत्र धन्ना
2. आयचुकी पत्नी अली
3. रमजान पुत्र अली
4. आजाद पुत्र अली
5. सलीम पुत्र अली
6. सत्तार पुत्र अली
7. मुमताज पुत्र अली
8. शेरखान पुत्र बन्ना
9. शारदा पुत्री बन्ना
10. छोटी पत्नी बन्ना समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद

—— प्रार्थीगण :— जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत

बनाम

1. चन्दा पुत्री रहीमा
2. फरीमुदीन पुत्र रहीमा
3. फिरोज पुत्र रहीमा
4. बादू पुत्र रहीमा
5. मुमताज उर्फ काली पुत्री रहीमा
6. साहबूदी पुत्र रहीमा
7. साजिद पुत्र रहीमा
8. हाजरी पुत्र रहीमा समस्त जाति मेहरात निवासी ग्राम भीमपुरा, नसीराबाद
9. उप पंजीयक नसीराबाद
10. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद

—— अप्रार्थीगण :— 1 से 8 जरियें अधिवक्ता श्री रविन्द्र शर्मा,
9 व 10 जरियें राज. पैरोकार

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

—: आदेश :— दिनांक :— 17.1.25

अधिवक्ता प्रार्थीगण ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम भीमपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 925 रकबा 4—10 [illegible] के हाल खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.58 व 2090/3092 रकबा 0.15 की [illegible] संवत् 2019 से 2023 में अन्ना पुत्र लूम्बा, धन्ना व जूंझा पुत्र लू[illegible] चली आ रही है। अन्ना पुत्र लूम्बा नाऔलाद फौत हो [illegible] लूम्बा का भूमि पर आध[illegible]

—2

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद (अजमेर)

– आधा हिस्सा निहित हैं। धन्ना के वारिस प्रार्थीगण व जूंझा के वारिस अप्रार्थीगण ही है। आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का नाम दर्ज करने के बजाय बंदोबस्त विभाग ने सम्पूर्ण भूमि अप्रार्थीगण के नाम दर्ज कर दी। जिस कारण अप्रार्थीगण आराजी मुतनाजा के विकय करने व प्रार्थीगण को बेदखल करने पर आमादा है। अतः अप्रार्थीगण को पाबंद किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 1 से 8 ने जवाब पेश कर निवेदन किया कि खसरा गिरदावरी क आधार पर स्वामित्व की घोषणा का वाद पेश नही किया जा सकता है। प्रार्थीगण का आराजी मुतनाजा पर कभी भी मालिकाना हक नही रहा है। अतः प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण व राज. पैरोकार की बहस पर मनन किया। प्रकरण में निम्नानुसार आदेश पारित किये जाते है।

प्रथम दृष्टया मामला :–

ग्राम भीमपुरा के चौसाला खसरा नम्बर 925 रकबा 4–10–10 सम्वत् 2019 में अन्ना पुत्र लूम्बा के नाम काश्तकार के रूप में दर्ज था। अन्ना पुत्र लूम्बा के नाऔलाद फौत होने के कथन मूल वाद में साक्ष्य से ही सिद्व होगे। वंर्किग जमाबंदी में वंर्किग खसरा नम्बर 1504 रकबा 4–10–10 रहीमा पुत्र जूंझा के नाम गैर खातेदारी दर्ज है, अर्थात उक्त आराजी अप्रार्थीगण के पूर्वज का आवंटित हुयी है। हाल राजस्व अभिलेख में भी आराजी मुतनाजा अप्रार्थी संख्या 1 से 8 के नाम खातेदारी दर्ज है। साबिक राजस्व अभिलेख में आराजी मुतनाजा प्रार्थीगण अथवा उनके पूर्वज के नाम खातेदारी दर्ज होने का राजस्व अभिलेख पत्रावली पर नही है। प्रार्थीगण द्वारा मात्र खसरा गिरदावरी के आधार पर उक्त प्रकरण पेश किया है। खसरा गिरदावरी में भी अन्ना पुत्र लूम्बा अतिक्रमी की हैसियत से काबिज है। अप्रार्थीगण राजस्व अभिलेख में खातेदार है जिन्हे पाबंद यिा जाना न्यायोचित नही है। प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है।

2. अपूरणीय क्षति पारित होने की संभावना :– विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि जब अस्थायी निषेघाज्ञा चाही गयी हो तो यह साबित करना होगा कि यदि व्यादेश नही दिया गया तो उसे अपूरणीय क्षति होगी। प्रस्तुत प्रकरण में आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार है। विधि का सुस्थापित सिद्वान्त है कि राजस्व अभिलेख में दर्ज खातेदार को बिना विशेष परिस्थिति पाबंद नही किया जा सकता है। ऐसी परिस्थिति में अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में सिद्व नही होती है।

3. सुविधा का संतुलन :– न्यायहित में व्यादेश मंजूर करने पर प्रभावित पक्ष को होने वाली क्षति को घ्यान में रखते हुये युक्ति युक्त विवेक का प्रयोग किया जाकर ही सुविधा का संतुलन का निर्णय किया जा सकता है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में प्रकरण प्रथम दृष्टया बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है व अपूरणीय क्षति की संभावना भी प्रार्थीगण के पक्ष में नही है। तदनुसार सुविधा का संतुलन भी बहक प्रार्थीगण सिद्व नही होता है। शेष तथ्य मूल वाद में साक्ष्य आदि से सिद्व होगे।

आदेश :– ग्राम भीमपुरा के हाल हाल खसरा नम्बर 2089 रकबा 0.58 व 2090/3092 रकबा 0.15 की आराजी मुतनाजा पर प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र **"खारिज"** किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश आज सरे इजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devi Lal Yadav
Date: 2025.07.28 17:17:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नसीराबाद